भाग ⇒ 06 ⇒ राज्य (State)

अनुच्छेद 152 से 237

- अध्याय 1 ⇒ साधारण
  - 152
- अध्याय 02 ⇒ कार्यपालिका
  - 153 - 167
- अध्याय 3 ⇒ राज्य की विधान मण्डल
  - 168 - 212
- अध्याय 04 ⇒ राज्यपाल की विधायी शक्ति
  - 213
- अध्याय 05 ⇒ उच्च न्यायालय
  - 214-232
- अध्याय 06 ⇒ अधीनस्थ न्यायालय
  - 233-237

केन्द्र

1) राष्ट्रपति — राज्यपाल
2) लोकसभा — विधानसभा
3) राज्यसभा — विधानपरिषद्
4) प्रधानमंत्री — मुख्यमंत्री
5) AGI — AG
6) SC — HC

संघीय (Federal/Union)

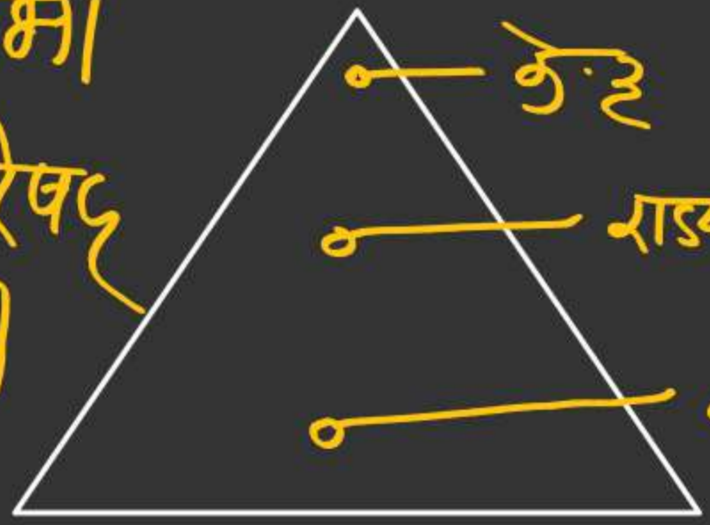

समय ⊗ (२००)

भाग 6
↓
152–237

152 - 237

भाग ⑤
└ संघ / Union = 52 - 151

भाग ⑥
└ राज्य (st) = 152 - 237

1) भाग 6 के प्रमुख अनुच्छेद

अध्याय I

साधारण

अनुच्छेद 152

Chapter I

General

Article 152

अनुच्छेद 152 | Article 152

अनु. 152 परिभाषा

- भाग VI में 'राज्य' की विशेष परिभाषा
- मूल पाठ: 'राज्य' में जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं
- 2019 के बाद J&K = केंद्रशासित प्रदेश → अपवाद अब अप्रासंगिक

एक नज़र में

- विषय: राज्य सरकार (Arts. 152–237)
- 6 अध्याय: साधारण, कार्यपालिका, विधानमंडल, अध्यादेश, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय
- संघ के समानांतर: भाग V (Arts. 52–151)

Art. 152 Definition

- Special definition of 'State' for Part VI
- Original text: 'State' excludes Jammu & Kashmir
- Since 2019 J&K is a UT → exception no longer relevant

At a Glance

- Subject: The States (Arts. 152–237)
- 6 Chapters: General, Executive, Legislature, Ordinance, High Courts, Subordinate Courts
- Parallel to the Union: Part V (Arts. 52–151)

अध्याय II

कार्यपालिका

अनुच्छेद 153–167

Chapter II

The Executive

Articles 153–167

अनुच्छेद 153–154 | Articles 153–154

अनु. 153 राज्यों के राज्यपाल

- प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल
- एक व्यक्ति → 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल (7वाँ संशोधन, 1956)

अनु. 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति

- कार्यपालिका शक्ति → राज्यपाल में निहित
- प्रयोग: स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा
- वास्तविक प्रयोग → मंत्रिपरिषद की सलाह पर

Art. 153 Governors of States

- One Governor for each State
- Same person → Governor of 2 or more States (7th Amendment, 1956)

Art. 154 Executive Power of State

- Executive power → vested in the Governor
- Exercised directly or through subordinate officers
- Real exercise → on aid & advice of Ministers

(153) — राज्य – राज्यपाल
— 7 CA 1956 ⇒ एक ही व्यक्ति < दो / दो से अधिक

(154) → राज्य की कार्यपालिका शक्ति
→ राज्यपाल

(155) → (G) → नियुक्त ← PR

(156) — (G) — पदावधि → PR

(157) — (G) — योग्यता (Q)

(158) · पद की शर्तें

(159) = शपथ = HC-CJ

(160) =

अनुच्छेद 155 | Article 155

अनु. 155 राज्यपाल की नियुक्ति

- नियुक्ति: राष्ट्रपति (हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र)
- कोई चुनाव नहीं — कनाडा मॉडल

राज्यपाल (र) — नियुक्ति ← राष्ट्रपति

कनाडा — केन्द्र के द्वारा राज्यपाल

Art. 155 Appointment of Governor

- Appointed by President (warrant under hand & seal)
- No election — Canadian model

अनुच्छेद 156–157 | Articles 156–157

अनु. 156 राज्यपाल की पदावधि

- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद
- सामान्य कार्यकाल: 5 वर्ष (पद ग्रहण से)
- त्यागपत्र → राष्ट्रपति को
- उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर

अनु. 157 अर्हताएँ

- भारत का नागरिक
- आयु: न्यूनतम 35 वर्ष

Art. 156 Term of Office

- Holds office during pleasure of the President
- Normal term: 5 years (from entering office)
- Resignation → addressed to the President
- Continues till successor enters office

Art. 157 Qualifications

- Citizen of India
- Age: at least 35 years

अनुच्छेद 158 | Article 158

अनु. 158 पद की शर्तें

- संसद/विधानमंडल का सदस्य नहीं; सदस्य हो तो सीट रिक्त
- कोई अन्य लाभ का पद नहीं
- निःशुल्क आवास + परिलब्धियाँ; कार्यकाल में कम नहीं

Art. 158 Conditions of Office

- Not a member of Parliament/Legislature; seat vacated
- Holds no other office of profit
- Rent-free residence + emoluments; not reduced in term

अनुच्छेद 159–160 | Articles 159–160

अनु. 159 शपथ
- संबंधित HC के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष
- अनुपस्थिति में → वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश
- संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण

अनु. 160 आकस्मिकता में कृत्य
- अप्रत्याशित स्थिति → राष्ट्रपति व्यवस्था करेगा
- उदा.: HC मुख्य न्यायमूर्ति कार्यवाहक राज्यपाल

Art. 159 Oath or Affirmation
- Before Chief Justice of the concerned High Court
- In absence → senior-most available Judge
- To preserve, protect & defend Constitution and law

Art. 160 Functions in Contingencies
- Unforeseen situation → President makes provision
- e.g. HC Chief Justice as acting Governor

अनुच्छेद 161 | Article 161

72 + 89 → 161

अनु. 161 क्षमादान शक्ति

- क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण
- केवल राज्य कार्यपालिका विषयों के कानून
- कोर्ट-मार्शल ✗ | मृत्युदंड की पूर्ण क्षमा → राष्ट्रपति (Art. 72)

Art. 161 Pardoning Power

- Pardon, reprieve, respite, remission, commutation
- Only laws on State executive subjects
- Court-martial ✗ | Full pardon of death → President (Art. 72)

अनुच्छेद 162–163 | Articles 162–163

अनु. 162 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
- राज्य सूची के विषयों तक
- समवर्ती सूची → संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन

अनु. 163 मंत्रिपरिषद
- प्रधान: मुख्यमंत्री
- कार्य: राज्यपाल को सहायता व सलाह
- अपवाद: विवेकाधीन कार्य
- विवेक का प्रश्न → राज्यपाल का निर्णय अंतिम
- दी गई सलाह की न्यायालय में जाँच नहीं

Art. 162 Extent of Executive Power
- Extends to State List subjects
- Concurrent List → subject to Union executive power

Art. 163 Council of Ministers
- Headed by the Chief Minister
- Role: aid & advise the Governor
- Exception: discretionary functions
- Whether discretionary → Governor's decision final
- Advice cannot be inquired into by courts

अनुच्छेद 164 | Article 164

अनु. 164 मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध

- मुख्यमंत्री → राज्यपाल नियुक्त करता; अन्य मंत्री → CM की सलाह पर
- मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर
- सामूहिक उत्तरदायित्व → विधानसभा के प्रति
- मंत्री संख्या ≤ 15% विधानसभा; न्यूनतम 12 (91वाँ संशोधन, 2003)
- गैर-सदस्य मंत्री: अधिकतम 6 माह
- जनजातीय कल्याण मंत्री: छत्तीसगढ़, झारखंड, म.प्र., ओडिशा (94वाँ संशोधन, 2006)
- दल-बदल से अयोग्य सदस्य → मंत्री नहीं बन सकता

Art. 164 Other Provisions as to Ministers

- CM → appointed by Governor; other Ministers → on CM's advice
- Ministers hold office during Governor's pleasure
- Collective responsibility → to Legislative Assembly
- Ministers ≤ 15% of Assembly; minimum 12 (91st Amendment, 2003)
- Non-member Minister: maximum 6 months
- Tribal Welfare Minister: Chhattisgarh, Jharkhand, MP, Odisha (94th Amendment, 2006)
- Member disqualified for defection → cannot be Minister

152 — राज्य की परिभाषा

153 → राज्यपाल ----

154 → राज्य की कार्यपालिका शक्ति

155 → राज्यपाल की नियुक्ति → PR

156 → राज्यपाल की पदावधि → PR

157 → योग्यताएं (Qulification) → 35Y

158 → पद की शर्तें

159 → शपथ (Oath) → HC का प्रधान न्यायाधीश

160 → आकस्मिकता (Cont)

161 → क्षमादान की शक्ति (Pardon power)

162 → कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार

163 → मंत्रिपरिषद — राज्यपाल की सहायता

164 — मंत्रिपरिषद की नियुक्ति — राज्यपाल

165 — राज्य के महाअधिवक्ता Advocate general of India

166 — राज्यपाल के नाम

167 — CM की Duty

168 → विधानमण्डल के अंग < G / C / A

169 → विधानपरिषद = संसद (P)

170 → विधान सभा संरचना < 500 / 60

171 → विधान परिषद संरचना

172 → अवधि < सभा = 5 Y / परिषद = स्थायी < 6 / 1/3

173 → योग्यता < सभा = 25 Y / परिषद = 30 Y.

174 → राज्यपाल < S. / P. / D.

175 → राज्यपाल → संदेश

176 → राज्यपाल · Duty · अभिभाषण

177 — अधिकार (Right) < मंत्री / AGS

178 — अध्यक्ष व उपाध्यक्ष = चुनाव

179 — ——ı—— → पदावधि + त्यागपत्र + R.

180 → अनुपस्थिति.

181 → हटाने का प्रस्ताव चालू

182 → सभापति + उपसभापति = निर्वाचन.

183 → पदावधि + त्यागपत्र + हटाना

184 → अनुपस्थिति

185 → हटाने की प्रक्रिया = चालू.

186 < अ / उ > वेतन = राज्य विधानमंडल द्वारा

187 — सचिवालय

188 — शपथ = राज्यपाल / प्रोटेम स्पीकर

189 — गणपूर्ति = 1/10

190 = 60 दिन

191 = अयोग्यता

192 = अयोग्यता का Dध

193 = ₹500 जुर्माना

194 < MLA / MLC > विशेषाधिकार

195 < MLA / MLC > वेतन = राज्य विधानमंडल

196 → विधेयक लाना

202 = बजट

200 = राज्यपाल

201 = राष्ट्रपति

अनुच्छेद 165–166 | Articles 165–166

अनु. 165 महाधिवक्ता
- राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी
- नियुक्ति: राज्यपाल | योग्यता: HC न्यायाधीश बनने योग्य
- राज्यपाल के प्रसादपर्यंत; पारिश्रमिक राज्यपाल तय करता

अनु. 166 सरकार के कार्य का संचालन
- समस्त कार्यपालिका कार्रवाई → राज्यपाल के नाम से
- कार्य-संचालन व आवंटन के नियम → राज्यपाल बनाता है

Art. 165 Advocate-General
- Highest law officer of the State
- Appointed by Governor | Qualified to be HC Judge
- Holds office during Governor's pleasure; pay fixed by Governor

Art. 166 Conduct of Business
- All executive action → taken in Governor's name
- Rules of business & allocation → made by Governor

अनुच्छेद 167 | Article 167

अनु. 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य

- CM = राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी
- मंत्रिपरिषद के निर्णय व विधायी प्रस्ताव → राज्यपाल को सूचना
- राज्यपाल कहे → मंत्री का निजी निर्णय मंत्रिपरिषद के समक्ष

Art. 167 Duties of Chief Minister

- CM = link between Governor & Council of Ministers
- Communicates decisions & legislative proposals to Governor
- On Governor's request → a Minister's decision placed before Council

अध्याय III

राज्य विधानमंडल

अनुच्छेद 168–212

Chapter III

State Legislature

Articles 168–212

अनुच्छेद 168 | Article 168

अनु. 168 विधानमंडल का गठन

- विधानमंडल = राज्यपाल + 1 या 2 सदन
- द्विसदनीय (6): आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश

Art. 168 Constitution of Legislatures

- Legislature = Governor + 1 or 2 Houses
- Bicameral (6): Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Uttar Pradesh

अनुच्छेद 169 | Article 169

अनु. 169 विधान परिषद का सृजन/उत्सादन

- निर्णय: संसद (साधारण विधि द्वारा)
- शर्त: विधानसभा का विशेष बहुमत से प्रस्ताव
- कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3
- ऐसी विधि Art. 368 का संशोधन नहीं मानी जाती

Art. 169 Creation/Abolition of Council

- Decided by Parliament (by ordinary law)
- Condition: Assembly resolution by special majority
- Majority of total membership + 2/3 of present & voting
- Such law is not an amendment under Art. 368

अनुच्छेद 170 | Article 170

अनु. 170 विधानसभा की संरचना

- सदस्य: न्यूनतम 60, अधिकतम 500
- प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन
- अपवाद: सिक्किम 32, गोवा 40, मिज़ोरम 40
- प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन
- कुल सीटें (1971 जनगणना आधार) → 2026 के बाद पहली जनगणना तक स्थिर (84वाँ संशोधन, 2001)

Art. 170 Composition of Assembly

- Members: minimum 60, maximum 500
- Direct election from territorial constituencies
- Exceptions: Sikkim 32, Goa 40, Mizoram 40
- Readjustment after every census
- Total seats (1971 census) → frozen till first census after 2026 (84th Amendment, 2001)

अनुच्छेद 171 — विधान परिषद | Article 171 — Legislative Council

1/3	1/3	1/12	1/12	1/6
स्थानीय निकाय Local bodies	विधानसभा सदस्य MLAs	स्नातक Graduates	शिक्षक Teachers	मनोनीत Nominated

- अधिकतम: विधानसभा सदस्यों का 1/3 | न्यूनतम 40
- स्नातक: 3 वर्ष पुराने | शिक्षक: 3 वर्ष अनुभव (माध्यमिक या ऊपर)
- मनोनीत (राज्यपाल): साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा
- चुनाव: आनुपातिक प्रतिनिधित्व — एकल संक्रमणीय मत

- Maximum: 1/3 of Assembly strength | Minimum: 40
- Graduates: of 3 years' standing | Teachers: 3 years (secondary or above)
- Nominated (Governor): literature, science, art, co-operation, social service
- Election: proportional representation — single transferable vote

अनुच्छेद 172 | Article 172

अनु. 172 विधानमंडल की अवधि

- विधानसभा: 5 वर्ष (पहली बैठक से)
- राष्ट्रीय आपात: संसद 1-1 वर्ष बढ़ा सकती; आपात समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह
- विधान परिषद: स्थायी सदन — भंग नहीं होती
- हर 2 वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त; कार्यकाल 6 वर्ष

Art. 172 Duration of Legislatures

- Assembly: 5 years (from first meeting)
- National Emergency: Parliament extends 1 year at a time; max 6 months after emergency ends
- Legislative Council: permanent — not dissolved
- 1/3 members retire every 2nd year; term 6 years

अनुच्छेद 173 | Article 173

अनु. 173 सदस्यता की अर्हता

- भारत का नागरिक
- शपथ: निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष
- आयु: विधानसभा 25 वर्ष | परिषद 30 वर्ष
- संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ

Art. 173 Qualification for Membership

- Citizen of India
- Oath before person authorised by Election Commission
- Age: Assembly 25 years | Council 30 years
- Other qualifications prescribed by Parliament

अनुच्छेद 174–175 | Articles 174–175

अनु. 174 सत्र, सत्रावसान, विघटन

- आहूत, सत्रावसान, विधानसभा विघटन → राज्यपाल
- दो सत्रों के बीच अंतर ≤ 6 माह

अनु. 175 संबोधन व संदेश

- राज्यपाल एक या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता
- लंबित विधेयक पर संदेश → सदन शीघ्र विचार करे

Art. 174 Sessions, Prorogation, Dissolution

- Summon, prorogue, dissolve Assembly → Governor
- Gap between two sessions ≤ 6 months

Art. 175 Address & Messages

- Governor may address one or both Houses
- Message on pending Bill → House considers promptly

अनुच्छेद 176 | Article 176

अनु. 176 विशेष अभिभाषण

- आम चुनाव के बाद पहला सत्र + हर वर्ष का पहला सत्र
- विषय: सरकार की नीतियाँ व कार्यक्रम

Art. 176 Special Address

- First session after general election + first session each year
- Content: Government's policies & programme

अनुच्छेद 177–178 | Articles 177–178

अनु. 177 मंत्री व महाधिवक्ता के अधिकार

- किसी भी सदन/समिति में बोल व भाग ले सकते
- केवल इस आधार पर मतदान का अधिकार नहीं

अनु. 178 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

- विधानसभा अपने सदस्यों में से चुनती है
- रिक्ति होने पर शीघ्र नया चुनाव

Art. 177 Rights of Ministers & A-G

- May speak & take part in any House/Committee
- No right to vote by virtue of this Article

Art. 178 Speaker & Deputy Speaker

- Elected by the Assembly from its members
- Vacancy filled at the earliest

अनुच्छेद 179 | Article 179

अनु. 179 रिक्ति, त्यागपत्र, हटाया जाना

- सदस्यता समाप्त → पद रिक्त
- त्यागपत्र: अध्यक्ष → उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष → अध्यक्ष को
- हटाना: तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत; 14 दिन पूर्व सूचना
- विघटन के बाद भी अध्यक्ष → नई सभा की पहली बैठक तक

Art. 179 Vacation, Resignation, Removal

- Ceases to be member → office vacated
- Resignation: Speaker → to Deputy, Deputy → to Speaker
- Removal: majority of all then members; 14 days' notice
- After dissolution Speaker stays → till new House meets

अनुच्छेद 180–181 | Articles 180–181

अनु. 180 अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन

- अध्यक्ष पद रिक्त → उपाध्यक्ष
- दोनों रिक्त → राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य
- बैठक से अनुपस्थिति → नियमों/सदन द्वारा तय व्यक्ति

अनु. 181 हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन

- संबंधित पदाधिकारी पीठासीन नहीं होगा
- बोल सकता व कार्यवाही में भाग ले सकता
- प्रथमतः मत दे सकता; बराबरी पर निर्णायक मत नहीं

Art. 180 Performing Speaker's Duties

- Speaker's office vacant → Deputy Speaker
- Both vacant → member appointed by Governor
- Absent from sitting → person fixed by rules/House

Art. 181 Removal Resolution Pending

- The officer concerned shall not preside
- May speak & take part in proceedings
- Can vote in first instance; no casting vote on tie

अनुच्छेद 182–184 | Articles 182–184

अनु. 182 सभापति व उपसभापति
- विधान परिषद अपने सदस्यों में से चुनती है

अनु. 183 रिक्ति, त्यागपत्र, हटाया जाना
- Art. 179 जैसी व्यवस्था
- हटाना: परिषद के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत; 14 दिन सूचना

अनु. 184 सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन
- सभापति रिक्त → उपसभापति; दोनों रिक्त → राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य

Art. 182 Chairman & Deputy Chairman
- Elected by the Council from its members

Art. 183 Vacation, Resignation, Removal
- Same scheme as Art. 179
- Removal: majority of all then members; 14 days' notice

Art. 184 Performing Chairman's Duties
- Chairman vacant → Deputy; both vacant → member appointed by Governor

अनुच्छेद 185 | Article 185

अनु. 185 हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन

- पीठासीन नहीं (Art. 181 जैसा)

Art. 185 Removal Resolution Pending

- Shall not preside (like Art. 181)

अनुच्छेद 186–188 | Articles 186–188

अनु. 186 पीठासीन अधिकारियों के वेतन
- राज्य विधानमंडल विधि द्वारा तय करता
- तब तक → द्वितीय अनुसूची

अनु. 187 विधानमंडल का सचिवालय
- प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय
- भर्ती व सेवा-शर्तें → विधि द्वारा

अनु. 188 सदस्यों की शपथ
- राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष
- प्रारूप: तीसरी अनुसूची

Art. 186 Salaries of Presiding Officers
- Fixed by State Legislature by law
- Until then → Second Schedule

Art. 187 Secretariat of Legislature
- Separate secretarial staff for each House
- Recruitment & service conditions → by law

Art. 188 Oath by Members
- Before Governor or person appointed by him
- Form: Third Schedule

अनुच्छेद 189 | Article 189

अनु. 189 मतदान व गणपूर्ति

- निर्णय: उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत
- पीठासीन अधिकारी: केवल बराबरी पर निर्णायक मत
- गणपूर्ति: 10 सदस्य या 1/10 — जो अधिक हो
- रिक्तियों के बावजूद सदन कार्य कर सकता

Art. 189 Voting & Quorum

- Decisions: majority of members present & voting
- Presiding officer: casting vote only on a tie
- Quorum: 10 members or 1/10 — whichever greater
- House can act despite vacancies

अनुच्छेद 190 | Article 190

अनु. 190 स्थानों का रिक्त होना

- दोनों सदनों की एक साथ सदस्यता नहीं
- 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता नहीं
- सीट रिक्त: निरर्हता, त्यागपत्र, 60 दिन बिना अनुमति अनुपस्थिति

Art. 190 Vacation of Seats

- Cannot be member of both Houses together
- Cannot be member of Legislatures of 2+ States
- Seat vacant: disqualification, resignation, 60 days' absence

अनुच्छेद 191–192 | Articles 191–192

102

अनु. 191 सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
- लाभ का पद (विधि द्वारा छूट वाले छोड़कर)
- विकृत चित्त | अनुन्मोचित दिवालिया
- विदेशी नागरिकता या निष्ठा | संसद की विधि द्वारा
- दल-बदल → दसवीं अनुसूची [191(2)]

अनु. 192 निरर्हता प्रश्नों पर निर्णय
- निर्णय: राज्यपाल — अंतिम
- निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार (बाध्यकारी)
- दल-बदल मामले → अध्यक्ष/सभापति

Art. 191 Disqualifications
- Office of profit (except exempted by law)
- Unsound mind | Undischarged insolvent
- Foreign citizenship/allegiance | By law of Parliament
- Defection → Tenth Schedule [191(2)]

Art. 192 Decision on Disqualification
- Decided by Governor — final
- Acts as per Election Commission's opinion (binding)
- Defection cases → Speaker/Chairman

अनुच्छेद 193 | Article 193

अनु. 193 बिना शपथ बैठने पर दंड

- ₹500 प्रतिदिन — राज्य के ऋण के रूप में वसूली

Art. 193 Penalty for Sitting Unqualified

- ₹500 per day — recovered as debt due to State

अनुच्छेद 194–195 | Articles 194–195

अनु. 194 शक्तियाँ व विशेषाधिकार

- सदन में वाक्-स्वातंत्र्य
- सदन/समिति में कथन या मत → न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति
- सदन के प्राधिकार से प्रकाशन भी संरक्षित
- अन्य विशेषाधिकार → विधानमंडल विधि द्वारा

अनु. 195 सदस्यों के वेतन व भत्ते

- MLA/MLC वेतन-भत्ते → राज्य विधानमंडल विधि द्वारा

Art. 194 Powers & Privileges

- Freedom of speech in the Legislature
- Speech/vote in House or Committee → immune from courts
- Publication under House's authority also protected
- Other privileges → defined by Legislature by law

Art. 195 Salaries of Members

- MLA/MLC salaries → fixed by State Legislature by law

अनुच्छेद 196 | Article 196

अनु. 196 विधेयकों का पुरःस्थापन व पारण

- धन/वित्त विधेयक छोड़कर → किसी भी सदन में प्रारंभ
- दोनों सदनों की सहमति आवश्यक
- सत्रावसान → विधेयक व्यपगत नहीं
- विघटन: विधानसभा में लंबित या उससे पारित होकर परिषद में लंबित → व्यपगत
- केवल परिषद में लंबित (विधानसभा से अपारित) → व्यपगत नहीं

Art. 196 Introduction & Passing of Bills

- Except Money/financial Bills → may start in either House
- Agreement of both Houses needed
- Prorogation → Bill does not lapse
- Dissolution: pending in Assembly, or passed by it & pending in Council → lapses
- Pending only in Council (not passed by Assembly) → does not lapse

अनुच्छेद 197 | Article 197

अनु. 197 परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन

- परिषद: पहली बार अधिकतम 3 माह, दूसरी बार 1 माह रोक सकती
- कुल देरी ≈ 4 माह | संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं
- अंततः विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि

Art. 197 Limits on Council (Ordinary Bills)

- Council: delays max 3 months first time, 1 month second time
- Total delay ≈ 4 months | No joint sitting
- Assembly's will finally prevails

अनुच्छेद 198 | Article 198

109

अनु. 198 धन विधेयक — विशेष प्रक्रिया =

- केवल विधानसभा में प्रस्तुत
- परिषद: 14 दिन में केवल सिफारिशें
- सिफारिश मानना/न मानना → विधानसभा की इच्छा
- 14 दिन में न लौटे → दोनों सदनों से पारित माना

Art. 198 Money Bills — Procedure

- Introduced only in the Assembly
- Council: only recommendations within 14 days
- Accept/reject recommendations → Assembly's choice
- Not returned in 14 days → deemed passed by both

अनुच्छेद 199 | Article 199

110

अनु. 199 'धन विधेयक' की परिभाषा

- कर, उधार, संचित/आकस्मिकता निधि, विनियोग, भारित व्यय आदि
- जुर्माना/शुल्क/स्थानीय कर मात्र → धन विधेयक नहीं
- अंतिम निर्णय: विधानसभा अध्यक्ष (प्रमाणपत्र)

Art. 199 Definition of Money Bill

- Taxes, borrowing, Consolidated/Contingency Fund, appropriation, charged expenditure
- Only fines/fees/local tax → not a Money Bill
- Final decision: Assembly Speaker (certificate)

अनुच्छेद 200 | Article 200

अनु. 200 विधेयकों पर अनुमति

- राज्यपाल के 4 विकल्प: अनुमति दे | रोके | पुनर्विचार हेतु लौटाए (धन विधेयक नहीं) | राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करे
- पुनः पारित होकर आए → अनुमति रोक नहीं सकता
- HC की शक्तियों को संकट में डालने वाला विधेयक → आरक्षण अनिवार्य
- तमिलनाडु राज्यपाल वाद (अप्रैल 2025): 2 जजों ने समय-सीमा तय की
- राष्ट्रपति संदर्भ (नवंबर 2025, 5 जज): न्यायालय निश्चित समय-सीमा व 'मानित अनुमति' नहीं थोप सकता; लंबी निष्क्रियता पर सीमित न्यायिक समीक्षा

Art. 200 Assent to Bills

- Governor's 4 options: assent | withhold | return for reconsideration (not Money Bill) | reserve for President
- Re-passed Bill → cannot withhold assent
- Bill endangering High Court's powers → must be reserved
- Tamil Nadu Governor case (Apr 2025): 2-judge bench set timelines
- Presidential Reference (Nov 2025, 5 judges): courts cannot impose fixed timelines or 'deemed assent'; limited review of prolonged inaction

अनुच्छेद 201 | Article 201

अनु. 201 राष्ट्रपति हेतु आरक्षित विधेयक

- राष्ट्रपति: अनुमति दे या रोके
- गैर-धन विधेयक → सदन को लौटाने का निर्देश
- सदन 6 माह में पुनर्विचार करे
- पुनः पारित → फिर राष्ट्रपति के पास (राष्ट्रपति बाध्य नहीं)

Art. 201 Bills Reserved for President

- President: assents or withholds
- Non-Money Bill → may direct return to House
- House reconsiders within 6 months
- Re-passed → back to President (not bound to assent)

अनुच्छेद 202 | Article 202

अनु. 202 वार्षिक वित्तीय विवरण

- = राज्य का बजट; राज्यपाल सदन के समक्ष रखवाता
- भारित व्यय व अन्य व्यय अलग-अलग
- भारित: राज्यपाल की परिलब्धियाँ, अध्यक्ष/सभापति के वेतन, ऋण भार, HC न्यायाधीशों के वेतन

Art. 202 Annual Financial Statement

- = State Budget; laid by Governor before the House
- Charged & other expenditure shown separately
- Charged: Governor's emoluments, Speaker/Chairman salaries, debt charges, HC Judges' salaries

अनुच्छेद 203 | Article 203

अनु. 203 प्राक्कलनों की प्रक्रिया

- भारित व्यय → मतदान नहीं, चर्चा हो सकती
- अन्य व्यय → अनुदान मांग, विधानसभा में मतदान
- विधानसभा: स्वीकार | अस्वीकार | कम कर सकती (बढ़ा नहीं सकती)
- मांग केवल राज्यपाल की सिफारिश पर

Art. 203 Procedure on Estimates

- Charged expenditure → not voted, may be discussed
- Other expenditure → Demands for Grants, voted in Assembly
- Assembly: assent | refuse | reduce (cannot increase)
- Demand only on Governor's recommendation

अनुच्छेद 204 | Article 204

अनु. 204 विनियोग विधेयक

- संचित निधि से धन निकासी की अनुमति
- विनियोग अधिनियम के बिना निकासी नहीं
- राशि/उद्देश्य बदलने वाला संशोधन नहीं

Art. 204 Appropriation Bill

- Authorises withdrawal from Consolidated Fund
- No withdrawal without Appropriation Act
- No amendment varying amount/destination

अनुच्छेद 205 | Article 205

अनु. 205 अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक अनुदान

- अनुपूरक: चालू सेवा हेतु राशि अपर्याप्त
- अतिरिक्त: वर्ष में नई सेवा हेतु
- अधिक: स्वीकृति से अधिक खर्च हो चुका

Art. 205 Supplementary, Additional, Excess Grants

- Supplementary: insufficient for current service
- Additional: for a new service in the year
- Excess: spent more than granted

अनुच्छेद 206 | Article 206

अनु. 206 लेखानुदान आदि

116

- लेखानुदान: बजट पारित होने तक अग्रिम
- प्रत्ययानुदान: अनिश्चित/अप्रत्याशित मांग (ब्लैंक चेक)
- अपवादानुदान: चालू सेवा से बाहर विशेष प्रयोजन

Art. 206 Vote on Account etc.

- Vote on Account: advance till Budget passes
- Vote of Credit: indefinite/unexpected demand (blank cheque)
- Exceptional Grant: not part of current service

अनुच्छेद 207–208 | Articles 207–208

अनु. 207 वित्तीय विधेयक

- धन विषय वाला विधेयक → राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक
- ऐसा विधेयक परिषद में प्रस्तुत नहीं
- कर घटाने/समाप्त करने वाले संशोधन → सिफारिश आवश्यक नहीं

अनु. 208 प्रक्रिया के नियम

- प्रत्येक सदन अपने प्रक्रिया नियम बनाता
- दोनों सदनों के बीच संचार → राज्यपाल (अध्यक्ष व सभापति से परामर्श)

Art. 207 Financial Bills

- Bill with money matters → Governor's recommendation needed
- Cannot be introduced in the Council
- Amendment reducing/abolishing tax → no recommendation needed

Art. 208 Rules of Procedure

- Each House makes its own rules
- Communication between Houses → Governor (after consulting Speaker & Chairman)

अनुच्छेद 209 | Article 209

अनु. 209 वित्तीय कार्य का विनियमन

- वित्तीय कार्य समय पर पूरा करने हेतु विधि
- विधि व नियमों में असंगति → विधि प्रभावी

Art. 209 Regulating Financial Business

- Law to complete financial business in time
- Conflict with rules → law prevails

अनुच्छेद 210 | Article 210

अनु. 210 विधानमंडल की भाषा

- राज्य की राजभाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी
- मातृभाषा में बोलने की अनुमति → पीठासीन अधिकारी
- अंग्रेज़ी: 15 वर्ष बाद समाप्त (जब तक विधि न बढ़ाए)
- हि.प्र., मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा → 25 वर्ष; अरुणाचल, गोवा, मिज़ोरम → 40 वर्ष

Art. 210 Language in Legislature

- Official language(s) of State, Hindi or English
- Mother tongue allowed → by presiding officer
- English: ends after 15 years (unless extended by law)
- HP, Manipur, Meghalaya, Tripura → 25 years; Arunachal, Goa, Mizoram → 40 years

अनुच्छेद 211–212 | Articles 211–212

अनु. 211 चर्चा पर निर्बंधन

- SC/HC न्यायाधीश के कर्तव्य-आचरण पर चर्चा नहीं

(121) +90

अनु. 212 कार्यवाही की न्यायिक जाँच नहीं

(122) +90

- प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं
- असंवैधानिकता/अवैधता पर पूर्ण उन्मुक्ति नहीं

Art. 211 Restriction on Discussion

- No discussion on official conduct of SC/HC Judges

Art. 212 Courts Not to Inquire

- No challenge on irregularity of procedure
- No blanket immunity for illegality/unconstitutionality

अध्याय IV

राज्यपाल की विधायी शक्ति

अनुच्छेद 213

Chapter IV

Legislative Power of Governor

Article 213

अनुच्छेद 213 | Article 213

अनु. 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- शर्त: विधानमंडल सत्र में न हो (द्विसदनीय → दोनों सदन)
- राज्यपाल संतुष्ट हो — तत्काल कार्रवाई आवश्यक
- बल: राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान
- पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त; अधिकतम आयु ≈ 6 माह + 6 सप्ताह
- राष्ट्रपति के निर्देश आवश्यक: जिस विधेयक हेतु पूर्व मंजूरी/आरक्षण अपेक्षित
- राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता

Art. 213 Ordinance-Making Power

- Condition: Legislature not in session (bicameral → both Houses)
- Governor satisfied — immediate action needed
- Force: same as an Act of State Legislature
- Ceases 6 weeks after reassembly; max life ≈ 6 months + 6 weeks
- President's instructions needed: where Bill needs prior sanction/reservation
- Governor may withdraw it any time

अध्यादेश — जीवनचक्र व प्रमुख वाद | Ordinance — Life Cycle & Key Cases

सत्र नहीं
Not in session

→

अध्यादेश जारी
Promulgated

→

सदन पुनः समवेत
House reassembles

→

6 सप्ताह में समाप्त*
Lapses in 6 weeks*

- * पहले ही अस्वीकृति प्रस्ताव पारित हो या वापस लिया जाए तो उसी समय समाप्त
- डी.सी. वाधवा (1987): बार-बार पुनः प्रख्यापन असंवैधानिक
- कृष्ण कुमार सिंह (2017): अध्यादेश न्यायिक समीक्षा योग्य; सदन के समक्ष रखना अनिवार्य
- तुलना: राष्ट्रपति का अध्यादेश → Art. 123

- * Ceases earlier if disapproving resolution passed or withdrawn
- D.C. Wadhwa (1987): repeated re-promulgation unconstitutional
- Krishna Kumar Singh (2017): ordinance subject to judicial review; laying before House mandatory
- Compare: President's ordinance → Art. 123